रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D.L-33004'99



**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1346] No. 1346] मई दिल्ली, बृहस्पतिबार, जुलाई 19, 2012/आवाह 28, 1934 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

## शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1639(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संयंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताय था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) की धारा44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 की सा.आ.सं. 2436 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपितयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे: और

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपितयों /सुझायों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लियाः और
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा ।।ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं ।

संशोधन:

जोन-'ओ' के मामलों निम्नलिखित का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार है :

क्र०सं०	स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग	प्रस्तायित भूमि उपयोग	सीमाएं
1.	निगमबोध घाट (संत परमानंद अस्पताल) के समीप अस्पताल एवं ओ.पी.डी. केन्द्र स्थल	हैक्टेयर में 0.2836	दि.सू.यो2021) मनोरंजनात्मक (पी 2- जिला पार्क)	सार्वजनिक एवं अर्द- सार्वजनिक (पीएसआई- अस्पताल)	उत्तरः 40° पाँडी सड़क पूर्वः 20' चाँडी सड़क पश्चिमः रिंग रोड दक्षिणः 20' चाँडी सड़क

2.	राष्ट्रमंडल खेल गांव के	5.5	्टयाग्रसिक (सी-:3	मनोरंजनात्मक (पी 2- जिला	
	समीप व्यवसाय (होटल)		होटस)	पार्क) [बशर्ते कि भूमि का	पूर्वः पार्किग/अक्षरधाम मंदिर
	हेत् प्रस्तावित स्थल			उपयोग टोपिएरीज आदि	पिम: 45 मी. प्श्ता रोड
				सहित राष्ट्रमंडल खेलों पर	दक्षिणः हरित क्षेत्र/राष्ट्रीय
,				केन्द्रित थीम पार्क के लिए	
				किया जाएगा ।)	
3.	डीएनडी फ्लाईं-से के।	27	सार्वजनिक एवं	हरित पट्टी/एवं जलाशय	उत्तरः यम्ना नदी/ डीएनडी
J.	दक्षिण की ओह्र क्रिकेट	iL!	अर्द्ध-सार्वजनिक	(ए-3 नदी एवं जलाशय)	फ्लाई-वे
		Jan 1		(४-3 नदा एवं जलाराय)	
	एवं फुटबाल स्टेडियम के	Power	(पी रुस 3 खेस	,,	पूर्वः यमुना नदी / डीएनडी फ्लाई-
A.,	लिए प्रस्तायित सम्बक्ष		सुविधाएं/सुविधाएं	1 27	a
			1	The same of the sa	पश्चिमः यमुना नदी/प्रस्तावित
		2.	परिसप्/स्टेडियम/		राष्ट्रीय राजमार्ग-2 <b>याईपास</b>
			खेंस केन्द्र)	estant on the first	दक्षिणः प्रस्तायित राष्ट्रीय राजमार्ग-
			100	TORRESTO	२ बाईपास

[फा. सं. के-13011/9/2012-डीडीआईबी] सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

**S.O. 1639(E).**— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2436(E) dated 6<sup>th</sup> October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

भारत का राजपत्र : असाधारण

## **Modification:**

The land use of the following cases of Zone-'O' as per description listed below:-

CI	I I a a a A i a a		1.		
SI. No.		Area in Ha.	Land use (MPD- 2021)	Land use changed to	Boundaries
1.	Hospital & OPD Centre site, near Nigambodh Ghat (Sant Parmanand Hospital)	0.2836	Recreational (P2-District Park	Public & Semi Public (PSI- Hospital)	North: 40 Wide road East: 20 Wide Road West: Ring Road South: 20 Wide Road
2.	Proposed site for Commercial (Hotel) near CWG Village	5.5	Commercial (C3-Ḥotel)	Recreational (P2-District Park) [subject to condition that the land shall be utilized for developing a Theme Park focusing on Commonwealth Games with topiaries etc.]	North: CWG Village East: Parking/ Akshardham Temple West: 45 M Embankment Road South: Green/ NH-24 Byepass
3.	Proposed site for Cricket & Football Stadium towards South of DND fly-way	27	Public & Semi Public (PS3-Sports facilities/ Complex/ Stadium/ Sports Centre	Green Belt/ and Water Body (A3-River & Water Body)	North: Yamuna River/ DND Fly- way East: River Yamuna/ DND Fly-way West: River Yamuna/ Proposed NH-2 Byepass South: Proposed NH-2 Byepass

[F. No. K-13011/9/2012-DDIB] SUNIL KUMAR, Under Secy.